

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड उद्योग
भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005

(रीको रिटायर्ड एम्पलाईज मेडिकल रिलिफ फण्ड)

क्रमांक: ए.1 (4)158/95/भाग-3
दिनांक: 3 दिसम्बर, 2018

परिपत्र

पूर्व में जारी परिपत्र (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में पुनः लेख है कि निगम में दिनांक 01.10.2010 के पश्चात् सेवारत जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपना परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया है वे अपना विकल्प पत्र निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर रीको रिटायर्ड एम्पलाईज मेडिकल रिलिफ फण्ड के सदस्य बन सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में सदस्य नहीं बनने पर उन्हें भविष्य में रीको रिटायर्ड एम्पलाईज मेडिकल रिलिफ फण्ड की सदस्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

अतः पूर्व परिपत्र के तहत योग्य कर्मचारी/अधिकारी अतिशीघ्र सदस्यता ग्रहण कर अशंदान राशि की कटौती प्रारम्भ करवायें।

वित्तीय सलाहकार
एवं

अध्यक्ष रिटायर्ड एम्पलाईज
मेडिकल रिलिफ फण्ड

प्रतिलिपी:-

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त इकाई प्रभारी
3. उपमहाप्रबन्धक (कम्प्यूटर)
4. प्रबन्धक (बिल्स)
5. नोटिस बोर्ड

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर - 5

(रीको रिटायर्ड एम्पलाईज मेडिकल रिलिफ फण्ड)

क्रमांक : ए.1(4)158/95/भाग-3

दिनांक : 02/8/2018

परिपत्र

निगम में दिनांक 01.10.2010 के पश्चात सेवारत जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपना परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया है उनके लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा पुनःभरण हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस परिपत्र जारी होने की दिनांक से एक वर्ष का अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार निर्धारित सदस्यता शुल्क/अंशदान राशि स्वीकार की जायेगी।

उक्त दिनांक 01.10.2010 के पश्चात सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा पुनःभरण के नियमानुसार 21,000/- जमा किये जायेंगे। विकल्प पत्र/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से सदस्यता शुल्क हेतु 1000/- रूपये व अंशदान की मासिक कटौती 200/- रूपये प्रतिमाह की जायेगी।

आगामी वर्षों में परिवीक्षाकाल पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के एक वर्ष के मध्य अपना विकल्प पत्र/आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं नियमानुसार उनसे निर्धारित सदस्यता शुल्क/अंशदान राशि स्वीकार की जायेगी।

इकाई में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से सदस्यता शुल्क एवं अंशदान की राशि मुख्यालय को, कटौती करने के पश्चात सात दिवस में संलग्न प्रारूप में स्थानान्तरित की जायेगी। अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा अभिलेख में अंशदान हेतु की गई कुल कटौती का उल्लेख किया जायेगा।

वित्तीय सलाहकार एवं अध्यक्ष
रीको रिटायर्ड एम्पलाईज मेडिकल रिलिफ फण्ड

संलग्न विकल्प का प्रपत्र

1. समस्त नियंत्रक अधिकारी
2. समस्त इकाई प्रभारी
3. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर)
4. प्रबन्धक (बिल्स)
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय आदेश पत्रवली/सम्बन्धित पत्रावली

Girish Parashar
Advisor (A&M)

RECORDED & INDEXED

19 AUG 2018

272

विकल्प का प्रपत्र

1. मैं दिनांक को/से निगम सेवा में के पद पर कार्यरत था/हूँ । मेरा परिवीक्षाकाल दिनांक को पूर्ण हो गया था/है ।
2. मैं मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा पुर्नःभरण सुविधा हेतु गठित होने वाले फण्ड की सदस्यता ग्रहण करने का विकल्प देता हूँ तथा इस हेतु निर्धारित सदस्यता शुल्क देने की सहमति देता हूँ ।
3. मैं इस हेतु नियमों में उल्लेखित शर्तों जिसमें अंशदान राशि व अधिकतम पुर्नःभरण राशि शामिल है, की पालना हेतु सहमत हूँ ।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पदनाम

कार्यालय जिसमें नियोजित है

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

1
2
3
4
5
6